

13.01.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता अपीलांट व अपीलांट के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता अपीलांट व अपीलांट अपने अपील को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा अपीलांट की अपील को 'अदम पैरवी' व 'अदम हानिरी' में इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।

13/01/25
[Stamp: (S.D.O.) बड़मेर]

